

रेलवे भर्ती बोर्ड:सिकंदराबाद
सीईएन सं.02/2024,तकनीशियन ग्रेड-III
अंतिम परिणाम-भाग-3

पूर्व तट रेलवे एवं दक्षिण मध्य रेलवे के लिए सीईएन 02/2024 तकनीशियन ग्रेड - III के तहत निम्नलिखित 14 (चौदह) अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणियों के लिए अंतिम रूप से चयनित और नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया है। उनके रोल नंबर क्षैतिज आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं (मेरिट के क्रम में नहीं)।

श्रेणी सं.04(दमरे) – तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन			
282244161295569	केवल 01(एक) अभ्यर्थी		
श्रेणी सं.08(दमरे) - तकनीशियन ग्रेड -III (इलेक्ट्रिकल)			
282244130433645	282244240773909	केवल 02(दो) अभ्यर्थी	
श्रेणी सं.11(पू.त.रे) - तकनीशियन ग्रेड -III (फिट्टर)			
282245161209388	केवल 01(एक) अभ्यर्थी		
श्रेणी सं.15(पू.त.रे) - तकनीशियन ग्रेड -III (एस एवं टी)			
282245161953743	केवल 01(एक) अभ्यर्थी		
श्रेणी सं.15(दमरे) - तकनीशियन ग्रेड -III (एस एवं टी)			
282242280383701	केवल 01(एक) अभ्यर्थी		
श्रेणी सं.16(दमरे) - तकनीशियन ग्रेड -III ट्रैक मशीन			
282242120235222	केवल 01(एक) अभ्यर्थी		
श्रेणी सं.18(पू.त.रे) - तकनीशियन ग्रेड -III (वैल्डर)			
282243241176576	केवल 01(एक) अभ्यर्थी		
श्रेणी सं.30(दमरे) - तकनीशियन ग्रेड -III फिट्टर (मेकैनिकल)			
282244221508533	केवल 01(एक) अभ्यर्थी		
श्रेणी सं.34(दमरे) - तकनीशियन ग्रेड -III मशीनिस्ट (मेकैनिकल)			
282245132190544	केवल 01(एक) अभ्यर्थी		
श्रेणी सं.40(दमरे) - तकनीशियन ग्रेड -III वैल्डर (मेकैनिकल)			
282244122032406	282244190052236	282244260229489	282244280337341
केवल 04(चार) अभ्यर्थी			

नियुक्ति संबंधी कार्रवाई, योग्यता शर्तों और मूल दस्तावेजों का आगे का सत्यापन (अर्थात् शैक्षिक/तकनीकी योग्यता जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र संबंधी पूर्ववृत्त आदि) की जांच प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी / पू.त.रे. एवं दमरे के कार्यालय द्वारा सीईएन संख्या 02/2024, तकनीशियन ग्रेड - III में निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी / पू.त.रे. एवं दमरे के कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण:

1. यह परिणाम अनंतिम है और इससे अभ्यर्थियों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी अनजाने त्रुटि/ टाइपोग्राफिकल गलती की स्थिति में परिणाम को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, यदि किसी अभ्यर्थी का नाम पैनल में शामिल किया जाता है या उसे नियुक्त किया जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड परिणाम रद्द / संशोधित करने और ऐसे अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल होने को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि पहले ही नियुक्त होने की स्थिति में योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत को मूलभूत आधार मानते हुए उसे सेवा से हटाया जा सकता है।
2. यदि कोई अभ्यर्थी चयन के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उसे रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले से ही नियुक्त है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

दिनांक: 19-05-2026

अधोहस्ताक्षरी /-
अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड/सिकंदराबाद